अनुस्मारक(3)/सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या-12/2017-13(6)/2017/का-1-2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

विषय :- राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों में से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों का भरा जाना ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव के पत्र संख्या-7/2017-13(6)/2017/का-1-2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, पत्र संख्या-8/2017-13(6)/2017/का-1-2017, दिनांक 08 सितम्बर,2017 एवं पत्र संख्या-10/2017-13(6)/2017/का-1-2017, दिनांक 26 सितम्बर,2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों में पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु चयन वर्ष 2017-2018 में भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का आगणन कर, पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने एवं उससे सम्बन्धित समेकित सम्पूर्ण सूचना कार्मिक विभाग को दिनांक 15 अक्टूबर, 2017 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए थे।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा वांछित कार्यवाही/उसकी सूचना राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों द्वारा अभी तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रशासकीय/अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन कार्मिकों के सम्बन्ध में चयन वर्ष 2017-2018 में पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का आगणन कर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 तक पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कराकर संलग्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सूच्य है कि प्रश्नगत कार्यवाही राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस पर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप

चयन वर्ष 2017-2018 हेतु आगणित रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु संस्तुत/पदोन्नत किये गये कार्मिकों का संक्षिप्त विवरण।

समूह	चयन वर्ष 2017-2018 हेतु आगणित रिक्तियों की संख्या	पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिकों की संख्या	पदोन्नति प्रदान किये जा चुके कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति
क				
ख				
ग				
घ				
योग-				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in